30/10/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आज का उपविभाजन प्रा॰पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/447

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

शारदा बनाम जोगराज व अन्य

किस्म मुकदमाः– 251(क) आरटीए सहपठित 8(2) कोल एक्ट

प्रकरण संख्याः–185/2025

GCMS:- 2025/447

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2025		

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 8 एसजीआर खाता नं0 246 प0न0 16/323 (75) कि0न0 15/1/0.143 है0 नहरी, 15/2/0.014 है0 खाला, 16/1/0.228 है0 नहरी, 16/2/0.025 है0 खाला, 25/1/0.228 है0 नहरी, 25/2/0.025 है0 खाला कुल 0.663 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की जमाबंदी शामिल पत्रावली है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थीया, अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम से दर्ज प0न0 16/323 (75) के कि0न0 5/1, 6/1, 15/3 में चल रहे भाईसरे रास्ता से अपने खेत में आवागमन कर रहें हैं। जो कि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम से दर्ज इसी प0न0 16/323 के कि0न0 5/1 में चल रहें 0.038 है0 स्वीकृत रास्ता से मिलता हैं। रास्ता मौका पर चालू हैं लेकिन रिकार्ड में दर्ज नही हैं इस कारण भविष्य में विवाद होने की सम्भावना बनी रहेगी। भविष्य में मौका पर कोई विवाद न हो एवं प्रार्थीया को सुचारू रास्ता मिलता रहें इसलिये रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत कराना चाहती है।

प्रार्थीया ने आगे निवेदन किया कि उपरोक्त रास्ता स्वीकृत होने पर प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के प0न0 16/323 के कि0न0 15/3 के चिपते इसी प0न0 16/323 (75) कि0न0 15/1 में से 0.058 पासा पूर्व से 16.5 फुट छोड़ते हुये पूर्व से पश्चिम भूमि देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर चक 8 एसजीआर प0न0 16/323 (75) कि0न0 5/1 में 0.022 है0, 6/1/0.025 है0, 15/3/0.011 है0 प्रत्येक का पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी नं0 1 ता 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये रास्ता स्वीकृत हेतु सहमति प्रदान की।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थीया को रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यक्ता दर्शाई गई हैं एवं प्रार्थीया को वैकल्पिक रास्ता का अभाव भी दर्शाया गया हैं। राज्य हित में रास्ता स्वीकृत करने हेतु भी सहमति प्रदान की गई हैं। रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण को भी कोई आपत्ति नही हैं। अतः हम न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं जैर प्रार्थना पत्र भूमि चक 8 एसजीआर प0न0 16/323 (75) कि0न0 5/1 में 0.022 है0, 6/1/0.025 है0, 15/3/0.011 है0 प्रत्येक का पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं रास्ता के एवज में प्रार्थीया के नाम से दर्ज भूमि में से चक 8 एसजीआर प0न0 16/323 [illegible] 15/3 के चिपते इसी प0न0 16/323 (75) कि0न0 15/1 में से 0.058 पासा पूर्व [illegible] छोड़ते हुये पूर्व से पश्चिम भूमि प्रार्थीया के खाता में कम कर अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के नाम [illegible] दर्ज की जावें। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु [illegible] को जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक 6072 दिनांकः– 30-10-25

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः– प्रकरण संख्या 185/2025 शारदा बनाम जोगराज व अन्य अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए सहपठित धारा 8 (2) कोल एक्ट रास्ता स्वीकृति निर्णय दिनांक 30.10.2025 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थीया का धारा 251 (क) आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश प्रदान किया जाता है कि अप्रार्थीगण जोगराज व सावित्री देवी के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 8 एसजीआर प0न0 16/323 (75) कि0न0 5/1 में 0.022 है0, 6/1/0.025 है0, 15/3/0.011 है0 प्रत्येक का पासा पूर्व उतर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं रास्ता के एवज में प्रार्थीया शारदा के नाम से दर्ज भूमि में से चक 8 एसजीआर प0न0 16/323 के कि0न0 15/3 के चिपते इसी प0न0 16/323 (75) कि0न0 15/1 में से 0.058 पासा पूर्व से 16.5 फुट छोड़ते हुये पूर्व से पश्चिम भूमि प्रार्थीया के खाता में कम कर अप्रार्थीगण जोगराज व सावित्री देवी के नाम ब0हि0ब0 दर्ज की जावें। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.30 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested